कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक/2096 /री.ए.डी.म. /2021 इन्दौर, दिनांक 20–4–2021

// आदेश //

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

विषय– कारोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश

(दिनांक 20 अप्रैल 2021 से प्रभावशील)

वर्तमान में कोरोना संक्रमण की गति एवं पाजीटीवीटी रेट को देखते हुए पूर्व के आदेशों से कोरोना कफ्र्यु लगाया गया था। इस तारतम्य में कुछ गतितविधियों को प्रतिबंधों से मुक्त रखा गया था, किन्तु देखने में यह आ रहा है कि इसका दुरूपयोग कर आम जनता अनावश्यक रूप से बाहर निकल रही है तथा कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रही है। दिनांक 30 अप्रैल 2021 तक जनता कफर्यु का आव्हान भी आमजन से किया गया है तथा यह भी अनुरोध किया गया है कि लोग 30 अप्रैल 2021 तक अपने घरों में ही रहें तथा बाहर न निकलें। पूर्व में कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधों से शिथिलता के दुरूपयोग को देखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा–144 के तहत् जारी किए जाते हैं, जिसका तत्काल प्रभाव से सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाना है, निम्नानुसार आदेश सम्पूर्ण इन्दौर जिले में प्रभावशील रहेगा–

1– यह कि पुलिस द्वारा इन्दौर शहर की सड़कों पर चेकिंग सख्ती से की जाय तथा अनावश्यक घुम रहे लोगों को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अन्तर्गत अस्थाई जेल भेजा जावे।

2– यह भी कि वर्तमान में स्थिति को देखते हुए सभी शासकीय/अर्द्ध–शासकीय कार्यालय जनता कफ्र्यु के चलते तत्काल प्रभाव से बंद रहेंगे तथा केवल अत्यावश्यक सेवाओं के कार्यालय ही खुले रहेंगे।

3– सभी प्रकार के चार्टड अकाउंटेंट एवं टैक्स कंसलटेंट के कार्यालय भी 30 अप्रैल तक जनता कफर्यु के चलते बंद किया जाना आदेशित किया जाता है।

4– सभी प्रकार की आई. टी. कंपनी के कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम की तर्ज पर कार्य करेगी तथा बीपीओ/मोबाईल कंपनियों के भी सभी कार्यालय बंद रहेंगे तथा न्यूनतम 10 प्रतिशत कर्मचारियों से चल सकेंगे।

5— शहर के अंदर के सभी प्रकार के सार्वजनिक परिवहन को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है तथा सभी प्रकार के ऑटो, ई–रिक्शा, टैक्सी आदि सार्वजनिक परिवहन के साधन केवल इन्दौर जिले के समस्त नगरीय निकायों में दिनांक 30 अप्रैल 2021 तक बंद रहेंगे। इस प्रकार के सभी वाहनों को संचालन मरीजों को लाने ले जाने हेतु किया जा सकेगा, अन्य किसी कार्य हेतु नहीं होगा।

6— पूर्व के आदेशों में सड़क पर हाट–बाजार पर सख्ती से पाबंदी लगाई गई थी किन्तु इसका उल्लंघन कर कई जगहों पर सब्जी, हाट–बाजार लग रहे हैं, जो कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में बाधक हो रहे हैं। स्थानीय मजिस्ट्रेट/पुलिस/नगर निगम की टीम को निर्देशित किया जाता है कि सख्ती से इन हाट बाजारों को हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे तथा अगर इन लोगों के द्वारा विरोध किया जाता है, जैसा कि पूर्व में हुआ है तो गिरफ्तारी सुनिश्चित की जावे।

7— शोसल मीडिया पर अनर्गल रूप से कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के प्रयासों पर की गई टिप्पणी पर प्रतिबंध लगाया जाता है तथा अगर इस प्रकार की कोई पोस्ट सोशल मीडिया पर डालते हैं या आग्रेषित/आगे बढाते हैं तो The Epidemic Disease Act, 1897, National Disaster Management Act- 2005 एवं इस आदेश के उल्लंघन में कार्यवाही की जावेगी। अगर जनता को भड़काने के मैसेज किसी के द्वारा अग्रेषित किया जाता है तो पुलिस ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध करेगी। विभिन्न सोशल मीडिया ग्रुप के एडमीन से अनुरोध है कि गलत मैसेज चलाने वाले सदस्यों को तत्काल ग्रुप से बाहर करें।

8— चोईथराम फल–सब्जी मंडी के बाहर किसी भी स्थिति में हाट–बाजरा आदि न लगे इसके लिए पुलिस एवं नगर निगम सख्त कार्यवाही करेंगे क्योंकि इन स्थलों पर भी आमजनों के जाने से संक्रमण की चेन तोड़ने में समस्या हो रही है। आवश्यकता पड़ने पर विरोध करने वाले लोगों को दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 151 में गिरफ्तार कर जेल भेजा जाय।

9— सभी प्रकार की निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाई जाती है तथा 30 तारीख तक सभी निर्माण गतिविधियॉ बंद रहेगी। इससे संबंधित कोई भी व्यक्ति सड़कों पर नहीं आ सकेंगे।

10— उद्योगों से संबंधित सभी कर्मचारी अपने उद्योग के प्रबंधन से आई–कार्ड लेकर जावेंगे तथा उद्योग संचालकों से भी अनुरोध किया जाता है कि वे भी न्यूनतम लोगों को बुलाकर अपना उत्पादन चालू रखेंगे। उद्योगों के सुपरवाईजरी संचालन में यथा–संभव 25 प्रतिशत या कम स्टाफ को बुलाकर करवाया जावे तथा उत्पादन कार्य में लगे लोगों को प्रत्येक उद्योग संचालक आई–कार्ड जारी करें ताकि पुलिस द्वारा इसकी पुष्टि की जा सकें।

11— केवल किराना, राशन—कंट्रोल दुकान, फल—सब्जी के चलित ढेले एवं फल—सब्जी की स्थाई दुकान दोपहर 12.00 बजे तक खुली रह सकेगी तथा दूध का वितरण प्रातः 6. 00 से 10.00 बजे तक एवं 4.00 बजे से सांय 7.00 बजे तक हो सकेगा।

12— जनता कफ्र्यु का यह आदेश सम्पूर्ण जिले में प्रभावशील होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में उपार्जन कार्य कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए किया जावे। सम्पूर्ण ग्रामीण, सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र एवं नगर निगम इन्दौर क्षेत्र में उक्त सख्त जनता कफ्र्यु प्रभावी रहेगा।

13— सभी ट्रांसपोर्ट नगर के संचालक, वेअरहाउस, सी एण्ड एफ एवं उद्योग संचालक यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके अत्यावश्यक कर्मचारी के पास उनके द्वारा जारी पहचान—पत्र मय वाहन नंबर रहे ताकि पुलिस उनकी पहचान की पुष्टि कर सकें।

14— सभी शराब दुकानें बंद रहेगी।

15— नागरिक यह सुनिश्चित करें कि किराना एवं फल—सब्जी उनके क्षेत्र की दुकानों से ही खरीदें।

16— हाईवे के सभी पेट्रोल पंप संचालित हो सकेंगे किन्तु शहर के चिन्हित पेट्रोल पंप ही संचालित हो सकेंगे।

17— एम्बुलैंस, फायर बिग्रेड, टेली—कम्युनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस सेवायें इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे।

18— कोविड टीकाकरण के समस्त केन्द्र संचालित हो सकेंगे एवं टीकाकरण हेतु जा रहे 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति उनके निवास स्थान के पास वाले वार्ड के टीकाकरण केन्द्र तक जा सकेंगे।

19— अखबार वितरण, मीडीयाकर्मी, बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन, एअरपोर्ट से आने जाने वाले नागरिक भी आ—जा सकेंगे।

20— अन्य प्रदेशों से/जिलों से भारी माल वाहक वाहनों का आवागमन हो सकेगा।

21— ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी—जनपद पंचायत एवं पंचायत सचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में लोग घरों में ही रहें तथा गांव से बाहर न निकले। दैनिक सामग्री हेतु प्रत्येक पंचायत सचिव दो—चार लोगों की टोली तैयार करेगा जो आवश्यकता हो तो कहीं से दैनिक सामग्री ला सकेंगे।

चूंकि यह आदेश जन साधारण की सूविधा हेतु तत्काल पालन हेतु प्रभावशील किया जाना आवश्यक हो गया है । इतना समय उपलब्ध नहीं है, कि जन सामान्य व सभी संबंधित पक्षों को उक्त सूचना की तामिली की जा सकें । अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है । आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।

अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरकर्ता संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तो से छूट दे सकेगा ।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेंगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा।

यह आदेश दिनांक 20/4/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया ।

(मनीष सिंह)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला इन्दौर

पृ०क्र० / 2097 / री0ए0डी0एम0 / 2021 इन्दौर, दिनांक 20–4–2021

प्रतिलिपि :–

1– प्रमुख सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2– आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर
3– पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर
4– उप पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर
5– आयुक्त, नगर निगम, इन्दौर
6– समस्त अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी/अपर कलेक्टर, इन्दौर
7– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला इन्दौर.
8– समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, इन्दौर
9– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, इन्दौर ।
10– एस0डी0ओ0(पी) नगर पुलिस अधीक्षक (समस्त), ..., इन्दौर
11– उप पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय/जिला विशेष शाखा, इन्दौर
12– थाना प्रभारी, थाना.....जिला इन्दौर की ओर पालनार्थ ।
13– उप संचालक, जन संपर्क इन्दौर की ओर आदेश का प्रकाषन हेतु अग्रेषित।
14– प्रभारी अधिकारी, एन.आई.सी., कलेक्टोरेट, इन्दौर की ओर जिला प्रषासन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
15– प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, इन्दौर।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर.